न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 1630–एक/07 विरुद्ध आदेश दिनांक 25–8–2007 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश मोतीमहल ग्वालियर अपील प्रकरण कमांक 7/01--02

मेसर्स केडिया कैसल डलियान इण्ड० लिमि०
केडिया नगर, खपरी, कुम्हारी, जिला दुर्ग

..............अपीलार्थी

विरुद्ध

आबकारी विभाग
द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश
ग्वालियर

..............प्रत्यर्थी

श्री के० के० द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री डी० एस० त्यागी, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

आ दे श

(पारित दिनांक 24 जून, 2014)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म० प्र० आबकारी अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में बाद में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2) (ग) के अंतर्गत बने अपीलें पुनरीक्षण एवं पुनरावलोकन नियमों के नियम–2 (स) के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश मोतीमहल ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 25–8--2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ईकाई द्वारा परमिट क्रमांक एवं दिनांक क्रमशः 464 7–6–1989 1625/21–1–1989 एवं 1727/7–2–1989 से क्रमशः 6488 प्रू०लि० 7917 प्रू०लि० तथा 3088 प्रू०लि० स्प्रिट परेषण मद्य भण्डारागार दमोह को भेजे गये। उक्त परेषणों का सत्यापन ... पर निर्धारित मार्ग हानि से अधिक मा

हानि होना पाते हुये कलेक्टर द्वारा तीन पृथक–पृथक प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी इकाई को कारण बताओं सूचना जारी किया जाकर आसवनी एवं मद्य भण्डारागार नियमों के नियम 8 (1) के अंतर्गत निर्धारित मात्रा से अधिक मार्ग हानि के लिये तीनों प्रकरणों में पृथक–पृथक कुल रूपये 18132 40 रूपये की शास्ति आदेश दिनांक 5–12–1995 से अधिरोपित की गई। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी इकाई द्वारा आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील प्रकरण कमांक 34/91–92, 36/91–92 तथा 37/91–92 प्रस्तुत किये जाने पर आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 19–8–1992 को आदेश पारित कर अपील अदम पैरवी में खारिज कर दी गई । तदोपरान्त जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपीलार्थी इकाई पर अधिरोपित शास्ति वसूली हेतु पत्र जारी किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी इकाई द्वारा कलेक्टर, दमोह के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई, कलेक्टर, दमोह द्वारा दिनांक 27–10–2000 को आदेश पारित कर उनके समक्ष प्रस्तुत याचिका अग्राह्य की गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 25–8–2007 को आदेश पारित कर कलेक्टर, दमोह का आदेश निरस्त किया जाकर अपीलार्थी इकाई पर एक मुश्त रूपये 5000/– की शास्ति अधिरोपित की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी इकाई के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी इकाई द्वारा भेजी जाने वाली स्प्रिट को आबकारी विभाग के अधिकारी द्वारा भेजने के पूर्व सील्ड किया गया है और मद्यभाण्डागार दमोह में आबकारी अधिकारी द्वारा ही सील खोली गई है । अतः निर्धारित मार्ग हानि से अधिक मार्ग हानि होने में अपीलार्थी इकाई की कोई त्रुटि नहीं है, और न ही वह जिम्मेदार है । यह भी कहा गया कि स्प्रिट कम होने पर उसका भुगतान अपीलार्थी इकाई को नहीं किया जाता है । इस आधार पर कहा गया कि अपीलार्थी को दो सजा नहीं दी जा सकती है, एक तरफ कम स्प्रिट का भुगतान नहीं किया गया है और दूसरी तरफ उस पर शास्ति अधिरोपित की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि निर्धारित मार्ग हानि से अधिक मार्ग हानि होने से शासन को कोई नुकसान नहीं हुआ है और संविदा अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत किसी पक्ष को हानि होने पर ही राशि का भुगतान किया जायेगा ।

4/ प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस अपील में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । म0 प्र0 आसवनी नियम 1995 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल आसवनी नियम कहा जावेगा) के नियम–6 (4) में अपीलार्थी इकाई द्वारा किये गये स्प्रिट के परिवहन में होने वाली मार्ग हानि का निर्धारण किया गया है । अपीलार्थी इकाई द्वारा किये गये स्प्रिट के परिवहन में निर्धारित मार्ग हानि से अधिक मार्ग हानि हुई है, इसमें कोई विवाद नहीं है । आसवनी नियमों के नियम 8 (1) में निर्धारित मार्ग हानि से अधिक मार्ग हानि होने पर शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है । अतः आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई पर शास्ति आधेरोपित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि अपीलार्थी इकाई में आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा स्प्रिट सील्ड की जाती है और जहां स्प्रिट पहुँचती है वहा पर भी आबकारी अधिकारी द्वारा सील खोली जाती है और कम स्प्रिट प्राप्त होने पर उसका भुगतान भी अपीलार्थी इकाई को नहीं किया जाता है । क्योंकि उक्त तर्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप की गई कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण ठहराने के लिये पर्याप्त नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–8–2007 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर